Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–251 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 09/10/2023

श्री महेन्द्र कुमार जी,
वरिष्ठ विधि अधिकारी
उपाकालि, ऊर्जा भवन
देहरादून।

विषयः– मा0 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा पारित अन्तिम आदेशों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक सं0 1438 / म0प्र0 (विधिक) एवं क0स0 उपाकालि, दिनांक 05.10.2023 के अनुपालन में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर (ग0) से पारित अन्तिम आदेशों को पी0डी0एफ0 के रूप में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal
Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेलः
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 146 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/10/2022

CASE NO- 20/2022

विषयः– श्रीमती गायत्री देवी, पत्नी श्री जशवन्त सिंह, ग्राम चरपाणी, तहसील धुमाकोट पौडी गढवाल के निर्णय के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कोटद्वार।

उपरोक्त विषयक आपको श्रीमती गायत्री देवी, पत्नी श्री जशवन्त सिंह, ग्राम चरपाणी, तहसील धुमाकोट पौडी गढवाल के निर्णय (Decision) की छायाप्रति मूलरूप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

15-10-22

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

पत्रांकः– / उ0शि0नि0मं0(श्री0) / तद्दिनांकः–
प्रतिलिपि श्रीमती गायत्री देवी, पत्नी श्री जशवन्त सिंह, ग्राम चरपाणी, तहसील धुमाकोट पौडी गढवाल को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

o/c

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेलः
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 146 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/10/2022

अपील संख्या 20 / 2022

परिवादी– श्रीमती गायत्री देवी, पत्नी श्री जशवन्त सिंह
ग्राम चरपाणी, तहसील घुमाकोट
पौडी गढवाल।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कोटद्वार।

कोरम– 01 श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02 श्री रवि कुमार राजौरा (सदस्य तकनीकी)
03 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

परिवादी श्रीमती गायत्री देवी, ग्राम चरपाणी, पो0ऑ0 खिरैरीखाल, तहसील घुमाकोट, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 16.04.2022 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंत्र श्रीनगर गढवाल को प्राप्त हुआ है। जिसमें परिवादी का कथन है कि वर्ष 2011 में एक संयोजन हेतु आवेदन किया गया था जिसका क्रमांक KT4215430260, (पुराना कनेक्शन क्रमांक KT24222430260) है, जिसके बिलों का प्रतिमाह भुगतान किया गया है। परन्तु माह 03 / 2022 में गांव के प्रधान जी द्वारा अवगत कराया है कि श्रीमती गंगोत्री देवी, पत्नी श्री जशोद सिंह, ग्राम चरपाणी के नाम पर विद्युत विभाग द्वारा धारा 05 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है, जिसका भुगतान अविलम्ब तहसील मे करवाया जाये। उक्त स्थिति को मध्यनजर रखते हुये शिकायतकर्ता द्वारा कर्ज लेकर 5158 / रू0 तहसील में जमा करवाया गया, परन्तु धारा–05 के सापेक्ष भुगतान राशि की रसीद में संयोजन सं0 KT24222430279, परिवादी के विद्युत कनेक्शन से नहीं है तथा उक्त कनेक्शन में परिवादी की नाम की जगह श्रीमती गंगोत्री देवी का नाम अंकित है, चूंकि कनेक्शन के बकायेदार के पति का नाम जशोद सिंह है, जबकि परिवादी का वास्तविक नाम श्रीमती गायत्री देवी, पत्नी श्री जशवन्त सिंह है।

विभागीय स्तर से जांच होने पर पता चलता है कि विभाग द्वारा त्रुटिवश परिवादी के आवास पर पृथक–पृथक कनेक्शन निर्गत किये गये थे– जिनका क्रमांक क्रमशः कनेक्शन क्रमांक KT24222430279 (वास्तविक कनेक्शन) (वर्तमान में कनेक्शन क्रमांक KT24215430260) तथा दूसरा कनेक्शन क्रमांक KT24222430279 (डुप्लीकेट) (जिस पर धारा 05 नोटिस निर्गत है) अतः उक्त दोनो कनेक्शनों का मीटर क्रमांक ई0एल0 8381 एक ही अंकित है। परिवादी द्वारा अपेक्षा की गई है कि डुप्लीकेट कनेक्शन के सापेक्ष धारा 05 नोटिस में जमा कराई गई धनराशि 5158/– रू0 परिवादी को वापस दिया जाये।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर (ग0) द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता वि0वि0ख0 (को0) को अपने पत्रांक सं0 119, दिनांक 21.04.2022 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने पत्रांक सं0 1321, दिनांक 13.05.2022 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया कि श्रीमती गायत्री देवी, ग्राम चरपाणी, तहसील धुमाकोट पौडी गढवाल का संयोजन सं0 KT24222430279 में जांच के उपरान्त पाय गया विद्युत संयोजन त्रुटिवश नाम गलत अंकित होने के कारण डुप्लीकेट निर्गत हो गया था एवं उपभोक्ता द्वारा जमा धनराशि को उनके विद्युत संयोजन सं0 KT24222430260 में समायोजित किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता वि0वि0ख0 (को0) को अपने पत्रांक सं0 126, दिनांक 06.06.2022 द्वारा नोटिस जारी किया गया। जिसमें मंच द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता द्वारा जमा धनराशि को उनके विद्युत संयोजन सं0 के0टी0 24222430260 में समायोजित किया जा सकता है कहा गया है, इस सम्बन्ध में समायोजन आख्या प्रस्तुत करें।

विपक्षी ने अपने पत्रांक सं0 2697, दिनांक 26.08.2022 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी के संयोजन सं0 **KT24222430279** को बन्द कर दिया है व विद्युत संयोजन की शेष धनराशि को संयोजन सं0 **KT24222430260** में समायोजित कर दिया गया है।

आदेश

परिवाद निरस्त किया जाता है, परिवादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वे निर्णय की तिथि से एक माह के अन्तर्गत माननीय लोकपाल विद्युत बसन्त बिहार फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

17-10-22		17-10-2022
सुरेन्द्र सिंह नेगी	रवि कुमार राजौरा	सुन्दरी गैरोला देवली
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	(सदस्य न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेलः
Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

पत्रांकः– 157 उ०शि०नि०मं०श्री० / दिनांक 25/11/2022

CASE NO- 21/2022

विषयः– श्री अजीत सिंह नेगी, ग्राम व पोस्ट पैडुल, पौडी गढवाल के निर्णय के सम्बन्ध में

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
पौडी गढवाल।

उपरोक्त विषयक आपको श्री अजीत सिंह नेगी, ग्राम व पोस्ट पैडुल, पौडी गढवाल के निर्णय (Decision) की छायाप्रति मूलरूप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

पत्रांकः– उ०शि०नि०मं०(श्री०) / तद्‌दिनांक – o/c

श्री अजीत सिंह नेगी, ग्राम व पोस्ट पैडुल, पौडी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25-11-2022

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 157 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 25/11/2022

अपील संख्या 21 / 2022

परिवादी– श्री अजीत सिंह नेगी
ग्राम व पोस्ट पैडुल
पौडी गढवाल।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

कोरम– 01 श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02 श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी के विद्युत संयोजन सं0 पीजी0 4203213524 पर माह जनवरी से मार्च तक का बिल रू0 9227.00 माह मार्च– मई का बिल (2) रू01145.00 आया है, जबकि इससे पूर्व माह नवम्बर–जनवरी 2022 (बिल 3) तक मीटर रीडिंग व बिल की धनराशि के अनुरूप थी, किन्तु माह जनवरी में जो मीटर रीडिंग थी, माह मार्च में बिल यूनिट अचानक बढकर 8377 हो गई, यानि 2577 यूनिट एक साथ बढकर दी गई है। वह माह मई में 2022 के बिल में भी 290 यूनिट दर्शाई गई है। तथा परिवादी ने विपक्षी के गलत मीटर रीडिंग व बिलिंग की गडबडी करने की आशंका व्यक्त की है, परिवादी द्वारा विपक्षी से भी इस संबंध में सम्पर्क किया गया परन्तु समाधान नहीं निकला।

परिवादी द्वारा विपक्षी के द्वारा निर्गत तीनों बिल पेश किये गये।

विपक्षी द्वारा अपने पत्रांक सं0 750, वि0वि0ख0 पौडी गढवाल, दिनांक 20.07.2022 के द्वारा मंच को अवगत कराया गया कि परिवादी द्वारा माह 07 / 2022 तक कुल 95 माह में 8992 यूनिट उपभोग की गई, जो औसतन प्रतिमाह 94.653 यूनिट है व माह 7 / 2022 से पूर्व वास्तविक रीडिंग पर बिल निर्गत न होने के कारण अत्यधिक बिल प्रदर्शित हुआ। जिसे संशोधित किया जा सकता है।

मंच द्वारा विपक्षी को पुनः अपने पत्रांक सं0 148/उ0शि0नि0मं0(श्री0) गढ़वाल द्वारा दिनांक 21.09.2022 को संशोधन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

विपक्षी द्वारा इसी क्रम में अपने पत्रांक सं0 1506,वि0वि0ख0 पौडी, दिनांक 28.10.2022 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा परिवादी माह 09/2014 से माह 07/2022 तक कुल 95 माह का समय–समय पर लागू टैरिफानुसार बिल संशोधित कर दिया गया है जो कि कुल विद्युत अवशेष रू0 17054.00 के सापेक्ष संशोधित बिल मात्र रू0 9325.00 देय है।

आदेश

बिल सम्बन्धी विवाद, सम्बन्धित मीटर रीडर द्वारा गलत/अनियमित मीटर रीडिंग लेने के कारण उत्पन्न हुआ है, विपक्षी द्वारा औसत उपभोग के आधार पर बिल संशोधित कर दिया गया है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सम्बन्धी मीटर रीडर से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

परिवादी यदि इस निर्णय से सन्तुष्ट न हो तो वह एक माह के अन्तर्गत माननीय लोकपाल (विद्युत) 80, बसन्त बिहार फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

25-11-2022	25/11/2022	25-11-2022
सुरेन्द्र सिंह नेगी	रजनीश अग्रवाल	सुन्दरी गैरोला देवली
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	(सदस्य न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 158 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 25 / 11 / 2022

CASE NO- 22/2022

विषयः– **श्री प्रवेश चन्द्र, ग्राम कोटली, पोस्ट चोपडियूं, पट्टी घुडदौडस्यूं, पौडी गढवाल के निर्णय के सम्बन्ध में**

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

उपरोक्त विषयक आपको श्री प्रवेश चन्द्र, ग्राम कोटली, पोस्ट चोपडियूं, पट्टी घुडदौडस्यूं, पाबौं, पौडी गढवाल के निर्णय (Decision) की छायाप्रति मूलरूप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

O/C

पत्रांकः– उ0शि0नि0मं0(श्री0) / तद्दिनांक –
श्री प्रवेश चन्द्र, ग्राम कोटली, पोस्ट चोपडियूं, पट्टी घुडदौडस्यूं, पाबौं, पौडी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25-11-22

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 158 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 25/11/2022

अपील संख्या 22 / 2022

परिवादी– श्री प्रवेश चन्द्र
ग्राम कोटली, पोस्ट चोपडियूं, पट्टी घडदौडस्यूं, पाबौं
पौडी गढवाल।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

कोरम– 01 श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02 श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी के विद्युत संयोजन सं0 पी0जी0 14305093596 से सम्बन्धित है, जिसे विपक्षी द्वारा रू0 16000 का बिल निर्गत किया गया तथा परिवादी ने इसे संशोधित करने हेतु इस मंच से निवेदन किया है।

इस क्रम में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा अपने पत्रांक सं0 132, दिनांक 31.08.2022 को अपना पक्ष रखने को लिखा गया।

विपक्षी अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक सं0 1177 / वि0वि0ख0पौडी, दिनांक 12.09.2022 के माध्यम से इस मंच को अवगत किया गया कि उनके द्वारा परिवादी के घर पर माह 19.08.2021 को पुराना आई0डी0एफ0 बदलकर नया विद्युत मापक सं0 0410123 (कन्जयूमर हिस्ट्री) के अनुसार स्थापित हुआ तथा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता द्वारा उक्त मापक स्थापित की तिथि से दिनांक 17.07.2022 तक कुल 347 दिन में 2399 यूनिट उपभोग की गई जो कि प्रतिमाह 194.50 यूनिट है।

माह 03/2022 से पूर्व वास्तविक रीडिंग पर नये मीटर के रीडिंग के अनुसार बिल निर्गत न होने के कारण उपभोक्ता का बिल माह 03/2022 में रीडिंग एक साथ पोस्ट होने के कारण अत्यधिक बिल दर्शित हुआ।

अतः इस सम्बन्ध में दिनांक 19.08.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक कुल 347 दिन का समय–समय पर लागू टैरिफ के अनुसार बिल संशोधित कर दिया गया है। जो कि कुल विद्युत अवशेष रू0 16263.00 के सापेक्ष संशोधित बिल मात्र 12010.00 का देय है।

आदेश

उपभोक्ता का बिल औंसत मीटर रीडिंग के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। परिवादी यदि इस निर्णय से सन्तुष्ट न हो तो वह एक माह के अन्तर्गत माननीय लोकपाल (विद्युत) 80, बसन्त बिहार फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

25-11-2022
सुरेन्द्र सिंह नेगी
(सदस्य उपभोक्ता)

25/11/2022
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

25-11-2022
सुन्दरी गैरोला देवली
(सदस्य न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal
Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेलः
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 159 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 25 / 11 / 2022

CASE NO- 23/2022

विषयः– श्रीमती ऊषा नौटियाल, प्रोप्राइटर हौट एण्ड कोल्ड इण्टरप्राइज कोटद्वार के निर्णय के सम्बन्ध में

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कोटद्वार।

उपरोक्त विषयक आपको श्रीमती ऊषा नौटियाल, प्रोप्राइटर हौट एण्ड कोल्ड इण्टरप्राइज कोटद्वार के निर्णय (Decision) की छायाप्रति मूलरूप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

o/c

पत्रांकः– उ0शि0नि0मं0(श्री0) / तद्दिनांक –
श्रीमती ऊषा नौटियाल, प्रोप्राइटर हौट एण्ड कोल्ड इण्टरप्राइज कोटद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25-11-2022

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal
Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांक:– 159 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 25 / 11 / 2022

अपील संख्या 23 / 2022

परिवादी– श्रीमती ऊषा नौटियाल,
प्रोप्राइटर हौट एण्ड कोल्ड इण्टरप्राइज
कोटद्वार।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0
कोटद्वार।

कोरम– 01. श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02. श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

परिवादी श्रीमती ऊषा नौटियाल, प्रोप्राइटर–हौट एण्ड कोल्ड इन्टरप्राइज कोटद्वार का एक शिकायती दिनांक 03.09.2022 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर (ग0) को प्राप्त हुआ। जिसमें परिवादी का कथन है कि मुझसे कोई अतिरिक्त सिक्योरिटी न ली जाये एवं अधिशासी अभियन्ता महोदय के पत्र को निरस्त कर दिया जाये।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर (ग0) द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता वि0वि0ख0 (श्री0) को अपने पत्रांक सं0 133, दिनांक 03.09.2022 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक सं0 3111, दिनांक27.09.2022 परिवादी श्रीमती ऊषा नौटियाल, प्रोप्राइटर–हौट एण्ड कोल्ड इन्टरप्राइज कोटद्वार जो कि **ADDITIONAL SECURITY** का डिमाण्ड नोटिस रू0 24829.65, दिनांक 19.05.2022 को जारी किया गया है, वह माननीय उत्तराखण्ड नियामक आयोग नियमावली के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार जारी किया गया है।

25-11-2022

पुनः अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 3718, दिनांक 24.11.2022 के अनुसार उपभोक्ता के औसत मासिक बिल रू0 25,983 के आधार पर कुल प्रतिभूति 51,967/- देय है। उपभोक्ता की ब्याज सहित प्रतिभूति रू0 27,137 जमा है। इस प्रकार उपभोक्ता द्वारा रू0 24830 अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करायी जानी है।

आदेश

परिवादी का वाद निरस्त किया जाता है। परिवादी यदि इस निर्णय से संतुष्ट न हो तो वह एक माह के अन्तर्गत माननीय लोकपाल (विद्युत) 80, बसन्त बिहार फेस-1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

25-11-2022
सुरेन्द्र सिंह नेगी
(सदस्य उपभोक्ता)

25/11/2022
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

25-11-2022
सुन्दरी गैरोला देवली
(सदस्य न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेल
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 160 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 25 / 11 / 2022

CASE NO- 24/2022

विषयः– श्री विरेन्द्र कुमार, पुत्र श्री सुरेशानन्द, शिवपुर कोटद्वार के निर्णय के सम्बन्ध में

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कोटद्वार।

उपरोक्त विषयक आपको श्री विरेन्द्र कुमार, पुत्र श्री सुरेशानन्द, शिवपुर कोटद्वार के निर्णय (Decision) की छायाप्रति मूलरूप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

पत्रांकः– उ0शि0नि0मं0(श्री0) / तद्दिनांक –

श्री विरेन्द्र कुमार, पुत्र श्री सुरेशानन्द, शिवपुर कोटद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25-11-2022

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 160 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 25/11 /2022

अपील संख्या 24 / 2022

परिवादी– श्री विरेन्द्र कुमार, पुत्र श्री सुरेशानन्द
शिवपुर, कोटद्वार।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0
कोटद्वार।

कोरम– 01 श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02 श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी परिवादी के विद्युत संयोजन सं0 के0टी0 21272128263 से सम्बन्धित है, जिसमें परिवादी द्वारा अत्यधिक बिल आने के सम्बन्ध में शिकायत की गई है।

इसी क्रम में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अपने पत्रांक सं0 140, दिनांक 20.09.2022 को विपक्षी को अपना पक्ष रखने को कहा गया।

विपक्षी अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक सं0 3316, दिनांक 14.10.2022 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया गया कि परिवादी के विद्युत संयोजन मीटर पर कम्पलेन्ट नं0 20209220284 के तहत चैक मीटर लगाया गया। चैक मीटर उतारने के पश्चात् रिपोर्ट में शून्य डेवियेशन आयी जिसके अनुसार उपभोक्ता का विद्युत बिल सही है।

आदेश

परिवादी का वाद निरस्त किया जाता है। परिवादी यदि इस निर्णय से संतुष्ट न हो तो वह एक माह के अन्तर्गत माननीय लोकपाल (विद्युत) 80, बसन्त बिहार फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

25-11-2022 25/11/2022 25-11-2022

सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता) | रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) | सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 166 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 03/02/2023

CASE NO- 25/2022

विषयः– श्री राकेश रावत, पेरियार हर्बल रिजॉट, पालकोट लैंसडाउन कोटद्वार के निर्णय के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कोटद्वार।

उपरोक्त विषयक आपको श्री राकेश रावत, पेरियार हर्बल रिजॉट, पालकोट लैंसडाउन कोटद्वार के निर्णय (Decision) की छायाप्रति मूलरूप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

पत्रांकः– उ0शि0नि0मं0(श्री0) / तददिनांक –
श्री राकेश रावत, पेरियार हर्बल रिजॉट, पालकोट लैंसडाउन कोटद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

03-02-2023
सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal
Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 166 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 03/02/2023

अपील संख्या 25 / 2022

परिवादी– श्री राकेश रावत,
पेरियार हर्बल रिजॉट, पालकोट लैंसडाउन
कोटद्वार।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0
कोटद्वार।

कोरम– 01. श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02. श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

परिवादी श्री राकेश रावत, पेरियार हर्बल रिजॉट, पालकोट लैंसडाउन कोटद्वार का शिकायती पत्र दिनांक 19.09.2022 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल को प्राप्त हुआ है, जिसमें परिवादी का कथन है कि हमारा पालकोट लैंसडाउन में पेरियार हर्बल रिजॉट नाम से एक होटल है, जिसमें कुछ समय से नियमित बिल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ गडबडी की आशंका है इस हेतु शिकायतकर्ता द्वारा मंच के समक्ष समस्या का सामाधान करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर (ग0) द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता वि0वि0ख0 (श्री0) को अपने पत्रांक सं0 141, दिनांक 20.09.2022 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने पत्रांक सं0 4048, दिनांक 27.12.2022 के माध्यम से इस मंच को अधोवर्णित बिन्दु अनुसार अवगत कराया गया।

क्रमशः–

01. उपभोक्ता मै0 पेरियार हर्बल रिजॉट का अस्थायी विद्युत संयोजन (के0टी069999/001135), दिनांक 31.10.2017 को जारी किया गया था।

02. उक्त संयोजन का मीटर खराब होने के कारण दिनांक 15.03.2021 को पुराना मीटर सं0–6284121 को बदलकर नया मीटर, सं0–96270956 उपभोक्ता के परिसर पर लगा दिया गया।

03. पुराने मीटर के आधार पर अन्तिम बीजक 08.12.2020 का बनाया गया तदोपरान्त उक्त मीटर खराब हो गया था दिनांक 08.12.2020 से नये मीटर लगाने की तिथि 15.03.2021 तक उपभोक्ता को मीटर सीलिंग के अनुसार औसत यूनिट 1605 तथा 10.12.2021 को नये मीटर की रिडिंग 7000 के आधार पर बनाया गया।

04. माह 02/2022 एवं 03/2022 के बिल का भुगतान (रीडिंग 8500), 4000रू0 दिनांक 13.04.2022 उपभोक्ता द्वारा किया गया है।

05. माह 04,05,06/2022 एवं 07/2022 (27.07.2022) 04 माह का बिल (15693–8500)= 7193 यूनिट का धनराशि रू0 56,171 रू0 का दिनांक 27.07.2022 को निर्गत किया गया जिसको कि उपभोक्ता द्वारा जमा नहीं किया गया जिस कारण दिनांक 28.07.2022 को 15693 रीडिंग पर संयोजन विच्छेदित कर दिया गया।

06. उपभोक्ता द्वारा दिनांक 14.09.2022 को 20,000 रू0 जमा किये गये।

07. उक्त परिसर पर 03 कि0वा0 का स्थायी नया संयोजन दिनांक 22.05.2022 को पूर्व में भी निर्गत कर दिया गया था।

08. उपभोक्ता के अन्तिम बिल में सिक्योरिटी की धनराशि 9000 एवं MSD (Material Security Deposite) की धनराशि 1265 समायोजित करते हुये दिनांक 16.11.2022 को 26242रू0 का विद्युत बिल निर्गत कर दिया गया था। जो कि उपभोक्ता द्वारा देय है।

आदेश

माह 02/2022 एवं 03/2022 दिनांक 25.03.2022 तक के बिल के विरूद्ध परिवादी द्वारा 4000 रू0 जमा किये गये दिनांक 25.03.2022 के पश्चात दिनांक 27.07.2022 तक परिवादी द्वारा बिल जो कि मीटर रीडिंग के आधार पर 26,242 रू0 की धनरशि निर्गत की गई है, परिवादी उस धनराशि को विपक्षी को भुगतान करें।

परिवाद निरस्त किया जाता है।

02-02-2023

सुरेन्द्र सिंह नेगी	रजनीश अग्रवाल	सुन्दरी गैरोला देवली
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	(सदस्य न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेलः
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 161 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 25 / 11 / 2022

CASE NO- 26/2022

विषयः– श्री नरेन्द्र सिंह गुसांई, पुत्र स्व0 श्री जबर सिंह, ग्राम कोट, टिहरी गढ़वाल के निर्णय के सम्बन्ध में

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढ़वाल।

उपरोक्त विषयक आपको श्री नरेन्द्र सिंह गुसांई, पुत्र स्व0 श्री जबर सिंह, ग्राम कोट, टिहरी गढ़वाल के निर्णय (Decision) की छायाप्रति मूलरूप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

पत्रांकः– उ0शि0नि0मं0(श्री0) / तद्दिनांक – O/C
श्री नरेन्द्र सिंह गुसांई, पुत्र स्व0 श्री जबर सिंह, ग्राम कोट, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25-11-2022

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांक:– 161 उ0शि0नि0मं0श्री0/ दिनांक 25/11/2022

अपील संख्या 26/2022

परिवादी– श्री नरेन्द्र सिंह गुसांई, पुत्र स्व0 जबर सिंह
ग्राम कोट
टिहरी गढवाल।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

कोरम– 01. श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02. श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

परिवादी श्री नेरन्द्र सिंह गुसांई, पुत्र स्व0 श्री जबर सिंह, ग्राम कोट, टिहरी गढवाल का एक शिकायती पत्र उसके कनेक्शन सं0 0333663, से सम्बन्धित है, जिसे ढाई साल पहले विच्छेदित कर दिया गया था, उसके उपरान्त भी मेरे नाम पर विपक्षी द्वारा बिल निर्गत किये जा रहे हैं, तथा मैं अन्यत्र निवास कर रहा हूं। परिवादी ने इस मंच से उक्त कनेक्शन को स्थाई रूप से बन्द करने की इच्छा व्यक्त की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर (ग0) द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता वि0वि0ख0 (श्री0) को अपने पत्रांक सं0 147, दिनांक 21.09.2022 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक सं0 7662, दिनांक 21.11. 2022 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी का संयोजन एन0बी0/एस0बी0 चल रहा था, बिलिंग डाटा के अनुसार अस्थाई/स्थाई विच्छेदन दिनांक 19.12.2010 तक परिवादी के विरूद्ध बकाया धनराशि रू0 11777.00/– शेष थी। परिवादी ने लाईनमैन के द्वारा बिल पर विच्छेदन तिथि 22.06.2005 को प्रमाण प्रस्तुत किया गया तदानुसार अधिशासी अभियन्ता द्वारा शेष धनराशि को 7796/– संशोधित कर दिया गया है।

क्रमशः–

आदेश

परिवादी का वाद निस्तारित किया जाता है। परिवादी यदि इस निर्णय से संतुष्ट न हो तो वह एक माह के अन्तर्गत माननीय लोकपाल (विद्युत) 80, बसन्त बिहार फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

25-11-2022 — सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

25/11/2022 — रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)

25-11-2022 — सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal
Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांक:–201 उ0शि0नि0मं0श्री0/ दिनांक 17/05/2023

CASE NO- 27/2022

विषय:– श्री राजेन्द्र सेमवाल, पुत्र श्री सोहन लाल, ग्राम तोलसारी, कोटद्वार के निर्णय के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कोटद्वार।

उपरोक्त विषयक आपको श्री राजेन्द्र सेमवाल, पुत्र श्री सोहन लाल, ग्राम तोलसारी, कोटद्वार के निर्णय (DECISION) की छायाप्रति मूलरूप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

o/c सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

पत्रांक:– /उ0शि0नि0मं0(श्री0)/तद्दिनांक:–
प्रतिलिपि श्री राजेन्द्र सेमवाल, पुत्र श्री सोहन लाल, ग्राम तोलसारी, कोटद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17-05-23

o/c सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेल: Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 201 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/05/2023

अपील संख्या 27 / 2022

परिवादी– श्री राजेन्द्र सेमवाल, पुत्र स्व0 श्री सोहन लाल,
ग्राम तोलसारी
कोटद्वार।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कोटद्वार।

कोरम– 01 श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02 श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

परिवादी **श्री राजेन्द सेमवाल, पुत्र स्व0 श्री सोहन लाल, ग्राम तोलसारी कोटद्वार** का शिकायती पत्र दिनांक 20.11.2022 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल को प्राप्त हुआ है। जिसमें परिवादी का कथन है प्रचलित वाद सं0 16 / 2021 में जो आदेश पारित हुआ था, उसमें विद्युत वितरण खण्ड कोटद्वार द्वारा परिवादी को कोई भी संशोधित जानकारी नहीं दी गई है, बिल (–) में आ रहा है, तथा परिवादी को ऑनलाईन के माध्यम से संदेश भेजा गया है कि पूर्व के बिल अपडेट न होने के कारण विद्युत कनेक्शन काट दिया जायेगा। इस हेतु परिवादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए एक शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता वि0वि0ख0 कोटद्वार को अपने पत्रांक सं0 156, दिनांक 25.11.2022 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने पत्रांक सं0 742, दिनांक 16.03.2023 के माध्यम से इस मंच को अधोवर्णित बिन्दु अनुसार अवगत कराया गया।

01. परिवादी का घर बन्द होने के कारण मीटर रीडिंग लेना सम्भव नहीं हो पा रहा था। तत्पश्चात् 05/2020 में परिवादी का मीटर भवन से बाहर किया गया और मीटर रीडर द्वारा रीडिंग लेनी शुरू की गई।

02. 05/2020 से पूर्व परिवादी के विद्युत बिल प्रोविजन (एन0आर0) पर बन रहे थे जो कि परिवादी द्वारा जमा करा दिये गये। 05/2020 के पश्चात् परिवादी के मीटर रीडिंग ली गई तो भुगतान का समायोजन करने के उपरान्त बिल माइनस हो गया जो कि वर्तमान में रू0 (–4025.00) है।

आदेश

परिवादी के शिकायत पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी को बिल (–) मे प्राप्त हो रहे हैं परिवादी का भवन बन्द होने के कारण मीटर रीडिंग नहीं ली जा सकी बिल माह 05/2020 के पश्चात् परिवादी को मीटर रीडिंग के बिल प्राप्त हो रहे हैं, बिलिंग पीरियड 17.12.2022 से 17.02.2023 तक का बिल रू0 (–4025.00) है।

अतः इस मंच द्वारा कोई कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं है। परिवादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

17-05-23 17/5/23 17-05-2023

सुरेन्द्र सिंह नेगी	रजनीश अग्रवाल	सुन्दरी गैरोला देवली
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 202 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/05/2023

CASE NO- 28/2023

विषयः– मालिनी कुमार, पुत्री श्री अशोक कुमार, खजूरवाडी धौंडियाल के निर्णय के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कोटद्वार।

उपरोक्त विषयक आपको मालिनी कुमार, पुत्री श्री अशोक कुमार, खजूरवाडी धौंडियाल के निर्णय (DECISION) की छायाप्रति मूलरूप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

पत्रांकः– उ0शि0नि0मं0(श्री0) / तद्दिनांकः–
प्रतिलिपि मालिनी कुमार, पुत्री श्री अशोक कुमार, खजूरवाडी धौंडियाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांक–202 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/05/2023

<u>अपील संख्या 28 / 2023</u>

परिवादी– मालिनी कुमार, पुत्री श्री अशोक कुमार
खजूरवाडी धौंटियाल,
कोटद्वार।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कोटद्वार।

कोरम– 01 श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02 श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

परिवादी मालिनी कुमार, पुत्र श्री अशोक कुमार, खजूरवाडी धौंटियाल, कोटद्वार का शिकायती पत्र दिनांक 28.02.2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल को प्राप्त हुआ है। जिसमें परिवादी का कथन है कि वर्तमान समय में कोई व्यक्ति घर पर नहीं रहता है। किन्तु उनके विद्युत संयोजन सं0 के0टी0 23432229517 पर काफी भारी भरकम बिल उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जबकि परिवादी द्वारा इलैक्ट्रिशियन के माध्यम से अपनी वाइरिंग भी चैक करवाई गई, साथ ही बिल अधिक आने की दशा में परिवादी द्वारा चैक मीटर भी लगवाया गया, किन्तु आपके द्वारा चैक मीटर की रिपोर्ट परिवादी को जारी नहीं की गई है एवं विद्युत बीजक की धनराशि रू0 89335.00 का बिल जारी कर संयोजन विच्छेदित करने हेतु नोटिस जारी किया गया है। इस हेतु परिवादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ताा वि0वि0ख0 कोटद्वार को अपने पत्रांक सं0 169, दिनांक 01.03.2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने पत्रांक सं0 826, दिनांक 21.03.2023 के माध्यम से इस मंच को अधोवर्णित बिन्दु अनुसार अवगत कराया गया।

01. संयोजन सं0 के0टी023432/229517 जो कि अशोक कुमार के नाम से चल रहा है। उक्त संयोजन पर विद्युत बिल अत्यधिक आने के सम्बन्ध में परिवादी द्वारा शिकायत की गई। जिसके क्रम में परिवादी के मीटर को चैक किया गया जिसमें Earth Leakage LED Indicator On पाया गया। उपरोक्त के सम्बन्ध में परिवादी को Wiring चैक तथा ठीक कर, चैक मीटर लगाने की सलाह दी गई।

02. उपरोक्त के क्रम में परिवादी द्वारा अपनी Wiring ठीक कराकर चैक मीटर लगाने का अनुरोध किया गया।

03. विद्युत परीक्षणशाला कोटद्वार द्वारा दिनांक 30.09.2022 को चैक मीटर लगाया गया तथा दिनांक 11.11.2022 को फाइनल किया गया जिसमें परिवादी के परिसर पर लगा मीटर 51 प्रतिशत् तेज चलता पाया गया। चैक मीटर आनलाइन रिर्पोट के आधार पर परिवादी को 51 प्रतिशत् का समायोजन दिया गया।

04. चैक मीटर फाइनल करते समय विद्युत परीक्षणशाला द्वारा परिवादी के परिसर पर पुराना मीटर सं0 50015590 को हटाकर 96269288 लगाया गया। तथा पुराने मीटर की एम0आर0आई रिर्पोट इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई।

05. एम0आ0आई0 रिर्पोट की Tamper Report में Earth Load Event काफी समय ऑन आ रहा है।

06. परिवादी का विद्युत बीजक विद्युत परीक्षणशाला की मीटर चैंज रिर्पोट तथा चैक मीटर की रिर्पोट के अनुसार ही बनाया गया है।

07. परिवादी के परिसर पर नये मीटर की दिनांक 11.11.2022 को प्रारम्भिक रीडिंग 01 पर लगाया गया, जिसकी दिनांक 18.03.2023, रीडिंग 1849 है।

आदेश

चैक मीटर लगाये जाने पर परिवादी का मापक 51 प्रतिशत् तेज चलता पाया गया, स्पष्ट है कि परिवादी का मापक खराब है।
अतः आदेशित किया जाता है कि बिल माह 04/2022 से 12/2022 तक परिवादी के बिल मापक को आई0डी0एफ0 मानते हुये संशोधित कर दिये जाये।

परिवादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

17-05-23	17/5/22	17-05-2023
सुरेन्द्र सिंह नेगी	रजनीश अग्रवाल	सुन्दरी गैरोला देवली
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेल: Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–224 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 20/07/2023

अपील संख्या 29/ 2023

परिवादी– श्री गिरीश चन्द्र पन्त,
ग्राम सांक्रो, चौरास
श्रीनगर गढ़वाल।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढ़वाल।

कोरम– 01 श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02 श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

परिवादी श्री गिरीश चन्द्र पन्त, ग्राम सांक्रो, चौरास श्रीनगर गढ़वाल का शिकायती पत्र दिनांक 16.03.2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के शिविर (चौरास परिसर) में प्राप्त हुआ है। जिसमें परिवादी का कथन है कि सन् 2009 में मेरे घर के छत पर विद्युत लाईन एक एंगिल पोल से गुजर रही है, जिससे कि खतरे की संभावना बनी रहती है, तथा उक्त लाईन की वजह से शिकायतकर्ता के घर का निर्माण कार्य भी रूका हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में भी विभाग को इससे सम्बन्धित पत्र प्रेषित किया जा चुका है। इस हेतु परिवादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए एक शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढ़वाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता वि0वि0ख0 श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 171, दिनांक 16.03.2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण होने के बावजूद भी विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर (ग0) द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो पुनः उपभोक्ता शिकायत

O/c

20/7/2023

निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 182, दिनांक 03.04.2023 को एक स्मरण पत्र जारी किया गया।

तत्पश्चात् निवारण मंच द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0 191, दिनांक 19.04.2023 से विपक्षी को परिवादी के भवन के ऊपर से लाईन हटाने के लिए प्राक्कलन बनाने हेतु निर्देशित किया गया।

इस सन्दर्भ मे पुनः 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद भी विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर (ग0) द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया, मंच द्वारा अपने पत्र सं0 212, दिनांक 23.04.2023 को एक स्मरण पत्र जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने पत्रांक सं0 2360, दिनांक 16.06.2023 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया कि भवन के ऊपर से गुजर रही पूर्व से स्थापित एल0टी0 लाईन को अन्यत्र स्थानान्तरण करने हेतु **"जमा योजना मद"** में लगभग रू0 62,714.00 का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है। जिसमें विभागीय नियमानुसार उक्त कार्य हेतु रू0 62,714.00 की धनराशि जमा होना अति आवश्यक है, बिना धनराशि जमा करवाये उक्त कार्य को करवाना जाना सम्भव नही है।

उक्त धनराशि रू0 62,714.00 को **चैक/बैंक/ड्राफ्ट/RTGS/NEFT** जो कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर (ग0) के पक्ष में देय हो, को किसी भी कार्य दिवश में खण्ड कार्यालय में जमा कराने का कष्ट करें, ताकि शीघ्र ही विद्युत लाईन का स्थानान्तरण का कार्य आरम्भ किया जा सके। आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि उक्त लाईन के स्थानान्तरण कार्य में किसी भी तरह की भूमि सम्बन्धी विवाद होने पर उसका समाधान भी आपके स्तर से किया जायेगा। साथ ही कि उक्त प्राक्कलन की धनराशि का आगणन कारपोरेशन के वर्तमान माह (मार्च 2023) स्टॉक इश्यू दर से बनाया गया है। यदि उक्त धनराशि खण्ड कार्यालय में जमा करने से पूर्व ही कारपोरेशन द्वारा नये स्टॉक इश्यू दर प्रेषित किये जाते हैं तो नई दरों के अनुसार प्राक्कलन धनराशि जमा करने के उपरान्त ही उक्त लाईन का स्थानान्तरण का कार्य किया जाना सम्भव होगा।

आदेश

बिना धनराशि जमा किये हुये लाईन स्थान्तरित किया जाना सम्भव नहीं है। अतः परिवादी को आदेशित किया जाता है कि विपक्षी के पत्र सं0 2360, द्वारा अपेक्षित धनराशि को किसी भी कार्य दिवस में खण्ड कार्यालय में जमा करवाये। उसके पश्चात् ही कार्य किया जाना सम्भव होगा।

परिवादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

20/07-23	20/7/2023	20-07-2023
सुरेन्द्र सिंह नेगी	रजनीश अग्रवाल	सुन्दरी गैरोला देवली
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 203 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/05/2023

CASE NO- 30/2023

विषयः– श्री खिलेन्द्र सिंह, निवासी घसिया महादेव, श्रीनगर गढवाल के निर्णय के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

उपरोक्त विषयक आपको श्री खिलेन्द्र सिंह, निवासी घसिया महादेव, श्रीनगर गढवाल के निर्णय (DECISION) की छायाप्रति मूलरूप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

o/c सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

पत्रांकः– /उ0शि0नि0मं0(श्री0)/तद्दिनांकः–
प्रतिलिपि श्री खिलेन्द्र सिंह, निवासी घसिया महादेव, श्रीनगर गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

o/c सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal
Forum (Sriaagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Sriaagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 203 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/05/2023

अपील संख्या 30 / 2023

परिवादी– श्री खिलेन्द्र सिंह,
निवासी घसिया महादेव,
श्रीनगर गढ़वाल।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढ़वाल।

कोरम– 01 श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02 श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

परिवादी श्री खिलेन्द्र सिंह, निवासी घसिया महादेव, श्रीनगर गढ़वाल श्री का शिकायती पत्र दिनांक 16.03.2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढ़वाल को प्राप्त हुआ है। जिसमें परिवादी का कथन है कि मेरा संयोजन सं0 एस0एन0 72211168732 का बिल विभाग द्वारा विगत 04 वर्षों से प्रेषित नहीं कराया गया है, तत्पश्चात् समय पर बिल प्रेषित न होने के वजह से परिवादी द्वारा विद्युत कार्यालय के लगातार चक्कर काटने के बाद विभाग द्वारा एक साथ 04 वर्षों का बिल बनाकर प्रेषित कर दिया गया, इस हेतु परिवादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढ़वाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ताा वि0वि0ख0(श्री0) को अपने पत्रांक सं0 172, दिनांक 16.03.2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने पत्रांक सं0 1468, दिनांक 29.03.2023 के माध्यम से इस मंच को अधोवर्णित बिन्दु अनुसार अवगत कराया गया।

01. श्री खिलेन्द्र सिंह, जिनका विद्युत संयोजन सं0 एस0एन0 72211168732 है। उक्त परिवादी के मापक की विद्युत रीडिंग सम्बन्धित तिथि को तकनीकी कारणों से मीटर रीडर द्वारा पढना सम्भव नहीं हो पाया, तत्पश्चात् सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुये पहले स्वयं परिषर में जाकर जांच की गई एवं उक्त मापक पर रीडिंग अस्पष्ट होना पाया गया।

02. उक्त मापक की रीडिंग अस्पष्ट होने के कारण एम0आर0आई द्वारा रीडिंग लेने का प्रयास किया गया, परन्तु तकनीकी कारणों से एम0आर0आई भी नहीं की जा सकी, लगातार प्रयास करने के उपरान्त उक्त उपभोक्ता के मापक की एम0आर0आई की जा सकी और परिवादी का बीजक एम0आर0आई में प्रदर्शित रीडिंग के आधार पर प्रेषित किया गया, परिवादी द्वारा उक्त बीजक जमा भी कर दिया गया था।

03. उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के प्रेषित पत्र के अनुपालन में जांच/अवलोकन करने के पश्चात् यह पाया गया है कि परिवादी को जारी बीजक सही प्रतीत होता है। तथा वर्तमान में भी परिवादी का मासिक विद्युत उपभोग भी उक्त जारी बिल के औसत मासिक उपभोग के समकक्ष ही है।

04. परिवादी का मासिक उपभोग लगभग 550 यूनिट से 650 यूनिट रहता है, जो कि टैरिफानुसार अधिकतम श्रेणी है जिससे स्पष्ट है कि परिवादी का बिल सही है।

आदेश

मीटर रीडिंग समय से/एम0आर0आई विलम्ब से लिये जाने के कारण परिवादी को 45 माह का बिल एक साथ दिया गया, अधिशासी अभियन्ता, के उत्तर की एम0आर0आई समय से नही हो पायी तर्कसंगत नहीं है।

अतः परिवादी को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (Standard of Performance regulations 2007 के अनुपालन में रू0 11,250 (250X45) क्षतिपूर्ती के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह इस सम्बन्ध में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

परिवादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

17-05-23	17/5/23	17-05-2023
सुरेन्द्र सिंह नेगी	रजनीश अग्रवाल	सुन्दरी गैरोला देवली
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण खण्ड
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांक:–223 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 20/07/2023

अपील संख्या 31 / 2023

परिवादी– श्री प्रीतपाल सिंह, पुत्र श्री सारदुल सिंह
निवासी कालारोड़
श्रीनगर गढ़वाल।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढ़वाल।

कोरम– 01 श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02 श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

परिवादी श्री प्रीतपाल सिंह, पुत्र श्री सारदुल सिंह निवासी कालारोड़ श्रीनगर गढ़वालका शिकायती पत्र दिनांक 22.03.2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढ़वाल को प्राप्त हुआ है। जिसमें परिवादी का कथन है कि दिनांक 15.07.2022 को 13260रु0 बकाये का जो नोटिस मुझे प्राप्त हुआ है वह झूठा है, क्योंकि डिमाण्ड नोटिस में दर्शायी गई तिथि 15.04.2011 को मेरे द्वारा कनेक्शन एस0एन0 21104 नहीं लिया गया था, महोदय यह काफी उत्पीडन का विषय है कि विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को ऐसें भी नोटिस प्राप्त होते हैं, जो कि उपभोक्ताओं की मानसिक और शारीरिक उत्पीडन को ठेस पहुंचाते हैं, मेरे द्वारा विभाग को पहले भी एक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि मेरे पे विभाग का कोई भी बकाया नहीं है, और मेरा जो वास्तविक कनेक्शन है वह रेगुलर चल रहे हैं, मैं विभाग में कई बार जा चुका हूं लेकिन इस कनेक्शन एस0एन0 21104 के बारे में मुझे नहीं बताया रहा है जो कि निन्दनीय है। मंच से मेरा अनुरोध है कि मुझे इस बकाये बिल के 06 माह के बिल की कॉपी दिलवाने की कृपा करें, तथा जो विभाग कनेक्शन हमारा बता रहा है व कनेक्शन कहां लगा हुआ है यह भी बताने की कृपा करें।इस हेतु परिवादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए एक शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है।
परिवादी के परिसर पर वर्तमान में 02 संयोजन एस0एन0 61101164804 एवं एस0एन0 21104164809 चल रहे हैं जिनका परिवादी द्वारा नियमित भुगतान किया जा रहा है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता वि0वि0ख0 श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 174, दिनांक 23.03.2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण होने के बावजूद भी विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर (ग0) द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो पुनः उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 184, दिनांक 10.04.2023 को एक स्मरण पत्र जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने पत्रांक सं0 1730, दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया कि विभागीय अभिलेखों के अवलोकन के उपरान्त यह पाया गया कि परिवादी के संयोजन संयोजित होने की तिथि 15.04.2003 है, जिस पर परिवादी द्वारा जमानत धनराशि के रूप में रू0 600.00 भी जमा किये गये हैं जिस पर वर्तमान में रू0 13580.00 बकाया है। तथा जिन परिवादियों के विद्युत संयोजन के विरूद्ध बकाया धनराशि रहती है उन परिवादियों को उत्तराखण्ड सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम 1958 की धारा–3 के अधीन डिमाण्ड नोटिस प्रेषित किये जाते हैं। चूंकि विभागीय अभिलेखों के अनुसार परिवादी के संयोजन के विरूद्ध उक्त धनराशि वसूली हेतु शेष थी के क्रम में परिवादी को उक्त डिमाण्ड नोटिस जारी किया गया है, जो कि नियमानुसार सही है।

इस सन्दर्भ में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी को अपने पत्रांक सं0 192, दिनांक 19.04.2023 को उपरोक्त संयोजन की बिलिंग विविरण/पी0डी0 रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस परिपेक्ष में भी 02 सप्ताह बीत जाने के उपरान्त बिलिंग विवरण/पी0डी0 रिपोर्ट विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा नहीं दी गई, तत्पश्चात् उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0 197, दिनांक 08.05.2023 को एक स्मरण पत्र जारी किया गया था।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0 2187, दिनांक 02.06.2023 से इस मंच को अवगत कराया कि बकाया धनराशि 13580.00 जो कि सिस्टम लेजर के आधार पर स्थाई विच्छेदन रिपोर्ट में दर्शायी गई है को संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।

इस परिपेक्ष में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा दिनांक 17.05.2023 को परिवादी श्री प्रीतपाल सिंह की सुनवाई सम्पन्न हुई। जिसमें उपभोक्ता द्वारा यह अवगत कराया गया कि उसके परिसर पर एक अन्य घरेलू संयोजन **SN21104164809 चल रहा है, जिसका वह भुगतान कर रहा है।**

20/7/23

विश्लेषण

विवादित संयोजन एस0एन0 21104164452, जिसपर अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय श्रीनगर द्वारा सेक्शन–3 का नोटिस निर्गत किया गया है, कि संयोजन तिथि 15.04.2003 है। इस संयोजन की पी0डी0 करते समय परिवादी के भवन पर मीटर आदि नहीं मिला, परिवादी के भवन पर एक दूसरा संयोजन एस0एन0 21104164809 चल रहा है जिसकी संयोजन तिथि 25.03.2004 है जिसका परिवादी द्वारा निरन्तर भुगतान किया जा रहा है। विवादित घरेलू संयोजन की कोई बिलिंग समरी खण्ड कार्यालय से उपलब्ध नहीं हो पायी।

आदेश

विपक्षी द्वारा संयोजन सं0 SN21104164452 पर निर्गत सेक्शन–3 नोटिस सं0 3347, दिनांक 15.07.2022 को निरस्त किया जाता है। एवं विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि विवादित संयोजन की पी0डी0 रिपोर्ट माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत Policy "Capitalization Process and Repair & Maintenance" and "Provisional and Writing off of Bad & Doudtful Debts" **दिनांक 12.10.2021** के अनुसार बनाये। एवं उसके पश्चात ही उक्त संयोजन पर बकाया वसूलने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

परिवादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

20/07/23	20/7/23	20-07-2023
सुरेन्द्र सिंह नेगी	रजनीश अग्रवाल	सुन्दरी गैरोला देवली
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–204 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/05/2023

CASE NO- 32/2023

विषयः– श्री कुलदीप सिंह, पुत्र श्री कुंवर सिंह, ग्राम खण्डाह, श्रीनगर गढवाल के निर्णय के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

उपरोक्त विषयक आपको श्री कुलदीप सिंह, पुत्र श्री कुंवर सिंह, ग्राम खण्डाह, श्रीनगर गढवाल के निर्णय (DECISION) की छायाप्रति मूलरूप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

O/C सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

पत्रांकः– / उ0शि0नि0मं0(श्री0) / तद्दिनांकः–
प्रतिलिपि श्री कुलदीप सिंह, पुत्र श्री कुंवर सिंह, ग्राम खण्डाह, श्रीनगर गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12-05-23

O/C सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–204 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/05/2022

अपील संख्या 32 / 2023

परिवादी– श्री कुलदीप सिंह, पुत्र श्री कुंवर सिंह
ग्राम खण्डाह,
श्रीनगर गढवाल।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

कोरम– 01 श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02 श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

परिवादी श्री कुलदीप सिंह, पुत्र श्री कुंवर सिंह, ग्राम खण्डाह, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 24.03.2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल को प्राप्त हुआ है। जिसमें परिवादी का कथन है कि खण्डाह में मेरे भवन के समीप एक ट्रांसफार्मर लगा है, जिसका एक की व्यक्ति प्रयोग कर रहा है, परिवादी का भवन ट्रांसफार्मर से 25 मीटर की दूरी पर स्थित है, परन्तु उस व्यक्ति द्वारा ट्रांसफार्मर को निजी बताया जा रहा है, जिससे कनेक्शन लेने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इस हेतु परिवादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए एक शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता वि0वि0ख0 श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 175, दिनांक 27.03.2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने पत्रांक सं0 1735, दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया कि श्री कुलदीप सिंह, पुत्र श्री कुंदर सिंह, ग्राम खण्डाह द्वारा अभी तक विद्युत संयोजन सम्बन्धी आवेदन / दस्तावेज उपखण्ड कार्यालय में जमा कराये जाने के पश्चात् ही विभागीय नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

आदेश

परिवादी की शिकायत उसके भवन के समीप लगे ट्रांसफार्मर से विद्युत संयोजन न दिये जाने के सम्बन्ध में है। अधिशासी अभियन्ता, द्वारा अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा अभी तक नये संयोजन हेतु आवेदन नहीं किया है, दूरभाष पर परिवादी से सम्पर्क करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा अभी तक संयोजन हेतु विभाग में आवेदन नहीं किया गया है।

अतः मंच द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जाना अपेक्षित नहीं है। परिवादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

17-05-23.

सुरेन्द्र सिंह नेगी
(सदस्य उपभोक्ता)

रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

17-05-2023

सुन्दरी गैरोला देवली
सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 248 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/05/2023

CASE NO- 33/2023

विषयः– **श्री राजेश कोठारी, हर्ष थपलियाल, शंकर मेवाड, निवासी तोल्यूंसैंण श्रीकोट गंगानाली के निर्णय के सम्बन्ध में।**

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

उपरोक्त विषयक आपको श्री राजेश कोठारी, हर्ष थपलियाल, शंकर मेवाड, निवासी तोल्यूंसैंण, श्रीकोट गंगानाली के निर्णय (DECISION) की छायाप्रति मूलरूप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

o/c सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

पत्रांकः– / उ0शि0नि0मं0(श्री0) / तद्दिनांकः–
प्रतिलिपि श्री राजेश कोठारी, हर्ष थपलियाल, शंकर मेवाड, निवासी तोल्यूंसैंण श्रीकोट गंगानाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12-05-23
o/c सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेल: Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 285 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/5/2023

अपील संख्या 33 / 2023

परिवादी– श्री राजेश कोठारी, हर्ष थपलियाल, शंकर मेवाड़
निवासी तोल्यूंसेण श्रीकोट गंगानाली
श्रीनगर गढवाल।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

कोरम– 01 श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02 श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

परिवादी **श्री राजेश कोठारी, हर्ष थपलियाल, शंकर मेवाड, निवासी तोल्यूंसेण श्रीकोट गंगानाली श्रीनगर गढवाल** का शिकायती पत्र दिनांक 24.03.2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल को प्राप्त हुआ है। जिसमें परिवादी ने अत्यधिक बिल आने सम्बन्धी शिकायत की गई है, और अवगत कराया गया है कि इस दशा में भवन में कोई भी इलैक्ट्रोनिक वस्तु उपयोग में नहीं लाई जाती है। इस हेतु परिवादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए एक शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता वि0वि0ख0 श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 176, दिनांक 27.03.2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने पत्रांक सं0 1736, दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया कि ग्राम तोल्यूंसेण श्रीकोट गंगानाली के बीच रास्ते में स्थापित पोल को स्थानान्तरित करने हेतु प्राक्कलन बनाया गया है जिसकी अनुमानिक व्यय धनराशि रू0 35000.00 है विभागीय नियमानुसार उक्त प्राक्कलन धनराशि जमा कराने के पश्चात् ही पोल को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना सम्भव है।

आदेश

परिवादी (ग्रामवासियों) द्वारा पोल स्थानान्तरित करने हेतु शिकायत दी गई है, पोल स्थानान्तरित करने हेतु रू0 35000.00 का व्यय होना अनुमानित है। अतः परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वह अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में सम्पर्क कर उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित धनराशि जमा करायें। जिससे कार्य कराया जा सके।

अतः परिवादी का वाद निरस्त किया जाता है। परिवादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

17-05-23

सुरेन्द्र सिंह नेगी
(सदस्य उपभोक्ता)

रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

17-05-2023

सुन्दरी गैरोला देवली
सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–206 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/05/2023

CASE NO- 34/2023

विषयः– श्री अरविन्द कुमार, पुत्र श्री प्यारे लाल अग्रवाल, निवासी जैन मार्केट श्रीनगर गढवाल के निर्णय के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

उपरोक्त विषयक आपको श्री अरविन्द कुमार, पुत्र श्री प्यारे लाल अग्रवाल, निवासी जैन मार्केट श्रीनगर गढवाल के निर्णय (DECISION) की छायाप्रति मूलरूप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

o/c सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

पत्रांकः– / उ0शि0नि0मं0(श्री0) / तद्दिनांकः–
प्रतिलिपि श्री अरविन्द कुमार, पुत्र श्री प्यारे लाल अग्रवाल, निवासी जैन मार्केट श्रीनगर गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17-05-23
o/c सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेल: Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–2१6 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/05/2023

अपील संख्या 34 / 2023

परिवादी– श्री अरविन्द कुमार, पुत्र श्री प्यारे लाल अग्रवाल
निवासी जैन मारकेट
श्रीनगर गढवाल।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

कोरम– 01 श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02 श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

परिवादी **श्री अरविन्द कुमार, पुत्र श्री प्यारे लाल अग्रवाल निवासी जैन मार्केट श्रीनगर गढवाल** का शिकायती पत्र दिनांक 24.03.2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल को प्राप्त हुआ है। जिसमें परिवादी का कथन है कि मेरा कनेक्शन एस0एन0 61101164454 मेरी पत्नी श्रीमती मनोरमा अग्रवाल जी के नाम पर है, परिवादी द्वारा लोड घटाने हेतु (03 किलोवाट से 01 किलोवाट) एक पत्र पहले भी विभाग में प्रेषित किया गया था, जिसमें विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। इस हेतु परिवादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए एक शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता वि0वि0ख0 श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 177, दिनांक 28.03.2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद भी विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर (ग0) द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो पुनः उपभोक्ता शिकायत

निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 186, दिनांक 13.04.2023 को एक स्मरण पत्र जारी किया गया।

विपक्षी नें अपने पत्रांक सं0 1731, दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया कि विभागीय नियमानुसार किसी भी प्रकार का बकाया शेष होने की स्थिति में विद्युत भार कम किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है, उक्त प्रकरण के सन्दर्भ में उपखण्ड अधिकारी श्रीनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवादी द्वारा माह फरवरी 2020 के बाद कोई भी विद्युत बिल की बकाया धनराशि इस कार्यालय में जमा नहीं कराई गई है। बकाया धनराशि जमा न होने के कारण परिवादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। परिवादी के ऊपर फरवरी 2020 से मार्च 2023 तक रू0 9600.00 का बिल निर्गत हुआ है, किन्तु परिवादी द्वारा तक से आज तक बकाया राशि इस कार्यालय में जमा नहीं कराई गई है। उक्त धनराशि जमा कराने के पश्चात् ही लोड घटाने की प्रक्रिया सम्भव हो पायेगी।

आदेश

परिवादी द्वारा दूरभाष पर बताया गया कि उपरोक्त संयोजन गोदाम के उपयोग हेतु लगाया गया है जिसमें कि विद्युत का उपयोग लगभग शून्य है। परिवादी के बिलिंग विवरण से स्पष्ट है कि परिवादी को फिक्स चार्जेस के बिल निर्गत किये जा रहे हैं जिनको परिवादी द्वारा जमा नहीं कराया गया है।

अतः परिवादी का स्वीकृत भार कम किया जाना सम्भव नहीं है।

परिवादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

17.05.23	17/5/23	17-05-2023
सुरेन्द्र सिंह नेगी	रजनीश अग्रवाल	सुन्दरी गैरोला देवली
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal
Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 207 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/05/2023

CASE NO- 35/2023

विषयः– श्रीमती पूजा नेगी, नियर सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, कमलेश्वर श्रीनगर गढवाल के निर्णय के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

उपरोक्त विषयक आपको पूजा नेगी, नियर सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, कमलेश्वर श्रीनगर गढवाल के निर्णय (DECISION) की छायाप्रति मूलरूप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

o/c सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

पत्रांकः– / उ0शि0नि0मं0(श्री0) / तद्दिनांकः–
प्रतिलिपि श्रीमती पूजा नेगी, नियर सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, कमलेश्वर श्रीनगर गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17-05-23

o/c सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेल: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

पत्रांकः– 207 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/05/2023

अपील संख्या 35 / 2023

परिवादी– श्रीमती पूजा नेगी
नियर सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, कमलेश्वर
श्रीनगर गढवाल।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

कोरम– 01 श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02 श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

परिवादी **श्रीमती पूजा नेगी नियर सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, कमलेश्वर श्रीनगर गढवाल** का शिकायती पत्र दिनांक 24.03.2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल को प्राप्त हुआ है। जिसमें परिवादी का कथन है कनेक्शन सं0 एस0एन0 11703884496 में जनवरी से मार्च तक की मीटर रीडिंग 1188 आ रखी है, जबकि 02 माह पूर्व मेरा मीटर बदला गया था, उससे पहले आने वाली रीडिंग 300 से 400 यूनिट के लगभग आती थी परन्तु मीटर बदलने पर रीडिंग अचानक अधिक आ रही है। इस हेतु परिवादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता वि0वि0ख0 श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 178, दिनांक 28.03.2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद भी विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर (ग0) द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो पुनः उपभोक्ता शिकायत

निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 187, दिनांक 13.04.2023 को एक स्मरण पत्र जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने पत्रांक सं0 1733, दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया कि इस प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड श्रीनगर द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार परिवादी को उनकी समस्या के निराकरण हेतु दूरभाष पर सूचित करते हुये चैक मीटर लगवाने हेतु परिवादी का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन भी कर दिया गया है। तथा परिवादी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् चैक मीटर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त समस्या का निराकरण कर दिया जायेगा।

<u>आदेश</u>

परिवादी द्वारा अपना मापक तेज चलने की शिकायत की गई है, उपखण्ड अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में परिवादी को सूचित भी कर दिया है। परिवादी द्वारा चैक मीटर की फीस जमा किया जाना अपेक्षित है। इसके पश्चात् ही विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा सकती है।

परिवादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

17.05.23	17/5/23	17-05-2023
सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	सुन्दरी गैरोला देवली सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal
Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर
कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–218 उ0शि0नि0मं0श्री0/ दिनांक 17/05/2023

CASE NO- 36/2023

विषयः– श्री प्रकाश, पुत्र स्व0 श्री सन्तू, निवासी कंसमर्दनी मार्ग श्रीनगर गढवाल के निर्णय के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

उपरोक्त विषयक आपको श्री प्रकाश, पुत्र स्व0 श्री सन्तू, निवासी कंसमर्दनी मार्ग श्रीनगर गढवाल के निर्णय (DECISION) की छायाप्रति मूलरूप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

o/c सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

पत्रांकः– /उ0शि0नि0मं0(श्री0)/तद्दिनांकः–
प्रतिलिपि श्री प्रकाश, पुत्र स्व0 श्री सन्तू, निवासी कंसमर्दनी मार्ग श्रीनगर गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17-05-23
o/c सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal
Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 2०७ उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/05/2023

अपील संख्या 36 / 2023

परिवादी– श्री प्रकाश, पुत्र स्व0 श्री संतू
निवासी कंसमर्दनी मार्ग
श्रीनगर गढवाल।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

कोरम– 01 श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02 श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

परिवादी श्री प्रकाश, पुत्र स्व0 श्री सन्तू, निवासी कंसमर्दनी मार्ग श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 24.03.2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल को प्राप्त हुआ है। जिसमें परिवादी का कथन है कि काफी लम्बे समय से बिजली के बिल अधिक आ रहे हैं जो कि मेरे ऊपर एक आर्थिक संकट है, तथा मीटर रीडर जो रीडिंग लेने आता है वह बिना रीडिंग के बिल देकर चला जाता है। इस हेतु परिवादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता वि0वि0ख0 श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 179, दिनांक 28.03.2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद भी विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर (ग0) द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो पुनः उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 188, दिनांक 13.04.2023 को एक स्मरण पत्र जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने पत्रांक सं0 1732, दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया कि इस प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड श्रीनगर द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार परिवादी को उनकी समस्या के निराकरण हेतु दूरभाष पर सूचित करते हुये चैक मीटर लगवाने हेतुं परिवादी का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन भी कर दिया गया है। तथा परिवादी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् चैक मीटर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त समस्या का निराकरण कर दिया जायेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा अपना मापक तेज चलने की शिकायत की गई है, उपखण्ड अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में परिवादी को सूचित भी कर दिया है। परिवादी द्वारा चैक मीटर की फीस जमा किया जाना अपेक्षित है। इसके पश्चात् ही विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा सकती है।

अतः परिवादी का वाद निस्तारित किया जाता है। परिवादी यदि इस निर्णय से सहमत हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून मेंअपील कर सकते हैं।

17-05-23.
सुरेन्द्र सिंह नेगी
(सदस्य उपभोक्ता)

17/5/23
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

17-05-2023
सुन्दरी गैरोला देवली
सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांक:–209 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/05/2023

CASE NO- 37/2023

विषय:– श्रीमती रेनू सुन्दरीयाल, नियर देवलोक होटल, ऐजेन्सी मोहल्ला, श्रीनगर गढवाल के निर्णय के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

उपरोक्त विषयक आपको श्रीमती रेनू सुन्दरीयाल, नियर देवलोक होटल, ऐजेन्सी मोहल्ला, श्रीनगर गढवाल के निर्णय (DECISION) की छायाप्रति मूलरूप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

O/C सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

पत्रांक:– / उ0शि0नि0मं0(श्री0) / तद्दिनांक:–
प्रतिलिपि श्रीमती रेनू सुन्दरीयाल, नियर देवलोक होटल, ऐजेन्सी मोहल्ला, श्रीनगर गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17-05-23

O/C सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांक:-209 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/05/2023

अपील संख्या 37 / 2023

परिवादी– श्रीमती रेनू सुन्दरियाल,
नियर देवलोक होटल, ऐजेन्सी मोहल्ला
श्रीनगर गढवाल।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

कोरम– 01 श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02 श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

परिवादी **श्रीमती रेनू सुन्दरियाल, नियर देवलोक होटल, ऐजेन्सी मोहल्ला श्रीनगर गढवाल** का शिकायती पत्र दिनांक 24.03.2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल को प्राप्त हुआ है। जिसमें परिवादी ने अत्यधिक बिल आने सम्बन्धी शिकायत की गई है, और अवगत कराया गया है कि इस दशा में भवन में कोई भी इलैक्ट्रोनिक वस्तु उपयोग में नहीं लाई जाती है। इस हेतु परिवादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए एक शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता वि0वि0ख0 श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 180, दिनांक 29.03.2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद भी विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर (ग0) द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो पुनः उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 189, दिनांक 13.04.2023 को एक स्मरण पत्र जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने पत्रांक सं0 1734, दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया कि इस प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड श्रीनगर द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार परिवादी को उनकी समस्या के निराकरण हेतु दूरभाष पर सूचित करते हुये चैक मीटर लगवाने हेतु परिवादी का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन भी कर दिया गया है। तथा परिवादी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् चैक मीटर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त समस्या का निराकरण कर दिया जायेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा अपना मापक तेज चलने की शिकायत की गई है, उपखण्ड अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में परिवादी को सूचित भी कर दिया है। परिवादी द्वारा चैक मीटर की फीस जमा किया जाना अपेक्षित है। इसके पश्चात् ही विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा सकती है।

अतः परिवादी का वाद निस्तारित किया जाता है। परिवादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

17-05-23
सुरेन्द्र सिंह नेगी
(सदस्य उपभोक्ता)

रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

17-05-2023
सुन्दरी गैरोला देवली
सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–210 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/05/2023

CASE NO- 38/2023

विषयः– श्री बीरेन्द्र सिंह नेगी, ग्राम बलभद्रपुर, पो0 कोटद्वार पौडी गढवाल के निर्णय के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीडांडा।

उपरोक्त विषयक आपको श्री बीरेन्द्र सिंह नेगी, ग्राम बलभद्रपुर, पो0 कोटद्वार पौडी गढवाल के निर्णय (DECISION) की छायाप्रति मूलरूप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

o/c सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

पत्रांकः– /उ0शि0नि0मं0(श्री0)/तद्‌दिनांकः–
प्रतिलिपि श्री बीरेन्द्र सिंह नेगी, ग्राम बलभद्रपुर, पो0 कोटद्वार पौडी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17-05-23

o/c सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal
Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांक–210 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/05/2023

अपील संख्या 38 / 2023

परिवादी– श्री बीरेन्द्र सिंह नेगी,
ग्राम बलभद्रपुर, पो0 कोटद्वार
पौडी गढवाल।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीडांडा।

कोरम– 01 श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02 श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

परिवादी श्री बीरेन्द्र सिंह नेगी, ग्राम बलभद्रपुर, पो0 कोटद्वार, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 06.04.223 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल को प्राप्त हुआ है। जिसमें परिवादी का कथन है कि मेरे द्वारा सन् 2000 में विभाग जयहरीखाल जाकर संयोजन विच्छेदन हेतु आवेदन किया था, जिसके बाद विभागीय लाईनमैन भवन से मीटर निकालकर ले गया था, जबकि केबिल विभागीय नहीं थी। शिकायतकर्ता द्वारा संयोजन विच्छेदन के पूर्व सभी बिलों का भुगतान किया जा चुका था, जिसका संयोजन सं0 एन0डी0 23442222280 एवं मीटर सं0 342782 है, तत्पश्चात् अभी तक विभाग द्वारा सिक्योरिटी फीस नहीं लौटाई गई है। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि तहसील लैंसडाउन द्वारा रू09399 का एक वसूली नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसका पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। जिससे शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है, और उनको काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। इस हेतु परिवादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निरस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता वि0वि0ख0 पौडी को अपने पत्रांक सं0 183, दिनांक 06.04.2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने पत्रांक सं0 303, दिनांक 25.04.2023 के माध्यम से इस मंच को अधोवर्णित बिन्दुओं के अनुसार अवगत कराया है।

01. परिवादी का कहना है कि मीटर निकालने और बिजली विच्छेदन के पूर्व के सभी बिलों का भुगतान परिवादी द्वारा किया जा चुका था। और विभाग के पास जो पुराने बिल रजिस्टर उपलब्ध हुये हैं, उनके अनुसार कोई भी बिल जमा नहीं है।

02. परिवादी का कहना है कि मीटर निकालने और बिजली विच्छेदन के पूर्व के सभी बिलों का भुगतान परिवादी द्वारा सन् 2000 में किया जा चुका था, तो 30.08.99 का बिल 30.10.2001 में एरियर घटना चाहिये था, जबकि बकाया बढ रहा था।

03. परिवादी अपने कथानुसार सन् 2000 में अपने स्थाई निवास ग्राम–खनेता से परिवार सहित कोटद्वार अपने सम्पूर्ण परिवार के साथ स्थाई रूप से रहने के लिये आ गये थे। विभाग के रिकार्ड में कनेक्शन निर्गत करने के समय जो ग्राम–खनेता का पता उपलब्ध था उस पर सेक्शन–3 विभागीय नोटिस पत्र सं0 3067 दिनांक 15.04.2021 को भेजा गया था।

04. सेक्शन–3 नोटिस भेजने के बाद जब उपभोक्ता द्वारा कोई पत्राचार या अपनी शिकायत विभाग में दर्ज नहीं कराई गई तो धनराशि को सही मानते हुये नियमानुसार आर0सी0 जारी की गई।

05. सिक्योरिटी की धनराशि 90रू0 और सिक्योरिटी इन्टरेस्ट 7.65रू0 मात्र विभाग के पास है। सिक्योरिटी वापस करने के लिये परिवादी को पहले भी पत्र द्वारा सूचित किया जा चुका है कि बैंक पासबुक की छायाप्रति खण्ड कार्यालय कोटद्वार में जमा करायें, ताकि सिक्योरिटी की धनराशि को खाते में जमा किया जा सके।

06. विभागीय लाईनमैन पर्सनल केवल ले गया या नहीं साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

07. विभागीय कार्यवाही के साथ–साथ परिवादी की भी जिम्मेदारी है कि स्थान परिवर्तन और पत्राचार का पता बदल जाने से विभाग में जाकर इसकी सूचना दे ताकि कोई भी पत्राचार नये पते पर किया जा सके। परिवादी ने 22 सालों में एक बार भी विभाग में जाकर कनेक्शन पूर्णरूप से बंद हुआ या नहीं जानने की कोशिश नहीं की। आर0सी0 जारी होने के बाद तहसील अमीन द्वारा जब परिवादी को कोटद्वार में खोजा गया और बकाया धनराशि जमा करने को कहा गया तो परिवादी ने बकाया धनराशि को जमा करवा दिया। यदि परिवादी एक बार सारे तथ्य विभाग के सामने प्रस्तुत कर देता तो आर0सी0 को खारिज किया जा सकता था। परन्तु परिवादी ने एक बार भी यह करना जरूरी नहीं समझा।

आदेश

परिवादी का संयोजन 30.12.2005 से एन0बी0 चल रहा था, जिस पर रू0 8519 बकाया है, परिवादी को 15 अप्रैल 2021 को विपक्षी द्वारा धारा–3 का निर्गत किया गया, परिवादी द्वारा भुगतान न किये जाने पर विपक्षी द्वारा सेक्शन–5 का नोटिस निर्गत किया गया जो कि परिवादी द्वारा जमा भी करा दिया गया है, दूरभाष पर परिवादी से उसका कथन कि उसका संयोजन 2000 में काट दिया गया था के सम्बन्ध में काई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः विभाग द्वारा की गई कार्यवाही उचित है।

परिवादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

17-05-23	17/5/23	17-5-2023
सुरेन्द्र सिंह नेगी	रजनीश अग्रवाल	सुन्दरी गैरोला देवली
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 21 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/05/2023

CASE NO- 39/2023

विषयः– श्री सहदेव सिंह बिष्ट (क्रेजी फूड इन्डस्ट्रीज) ग्राम व पोस्ट अमौठा केसरपुर, पौडी गढवाल के निर्णय के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

उपरोक्त विषयक आपको श्री सहदेव सिंह बिष्ट (क्रेजी फूड इन्डस्ट्रीज) ग्राम व पोस्ट अमौठा केसरपुर, पौडी गढवाल के निर्णय (DECISION) की छायाप्रति मूलरूप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

o/c सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

पत्रांकः– / उ0शि0नि0मं0(श्री0) / तद्दिनांकः–
प्रतिलिपि श्री सहदेव सिंह बिष्ट (क्रेजी फूड इन्डस्ट्रीज) ग्राम व पोस्ट अमौठा केसरपुर, पौडी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17-05-23
o/c सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–211 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 17/05/2023

अपील संख्या 39 / 2023

परिवादी– श्री सहदेव सिंह बिष्ट (क्रेजी फूड इन्डस्ट्रीज)
ग्राम व पोस्ट अमौठा केसरपुर,
पौडी गढवाल।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

कोरम– 01 श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02 श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

परिवादी श्री सहदेव सिंह बिष्ट (क्रेजी फूड इन्डस्ट्रीज), ग्राम व पोस्ट अमौठा केसरपुर, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 20.04.2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल को प्राप्त हुआ है। जिसमें परिवादी का कथन है कि मेरे बिल में संशोधन किया जाये तथा जमानत राशि के बिल में समायोजन के पश्चात् आ0सी0 वापस मंगा दी जाये। इस हेतु परिवादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता वि0वि0ख0 पौडी को अपने पत्रांक सं0 193, दिनांक 24.04.2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने पत्रांक सं0 180, दिनांक 29.04.2023 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया गया कि विद्युत संयोजन सं0 पी0जी0 65201340718 के विद्युत बिलों के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 38760.00 लम्बित होने के कारण अवर अभियन्ता / उपखण्ड

अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड सतपुली द्वारा माह 03/2022 में स्थाई विच्छेदन आख्या खण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराई गई। खण्ड स्तर पर पी०डी० फाईनल करते हुये उक्त संयोजन के सापेक्ष जमा जमानत राशि रू0 10,000.00 के समायोजन उपरान्त बिल धनराशि रू0 33917.00 निर्गत किया गया। अन्तिम विद्युत बिल की वसूली हेतु नियमानुसार सेक्शन–3 निर्गत किया गया, सेक्शन–3 के तहत वसूली होने पर सेक्शन–5 की कार्यवाही की गई।

आज दिनांक 17.05.2023 को अपील की सुनवाई की गई, जिसमें परिवादी एवं विपक्षी की ओर से श्री मुकेश कुमार, उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुये।

आदेश

परिवादी का संयोजन दिनांक 04.01.2019 को चालू किया गया था प्रथम बिल फरवरी 2019 में रू01406 का निर्गत किया गया परिवादी द्वारा माह 2020 में 16643 बिल के सापेक्ष मात्र 10,000 रू0 जमा किये गये, उसके पश्चात् माह 11/2020 में 22520रू0 बिल के सापेक्ष मात्र 10,000 रू0 जमा किये गये। स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा संयोजन चालू होने के दिनांक एवं संयोजन स्थाई विच्छेदन माह 2022 तक मात्र 02 बार बिल का भुगतान किया गया। खण्ड स्तर पर पीडी फाइनल/जमानत राशि का समायोजन करते हुये अन्तिम बिल धनराशि रू033917 का सेक्शन–3 निर्गत किया गया, सेक्शन–3 के अन्तर्गत वसूली न होने पर विपक्षी द्वारा सेक्शन–5 निकालने की कार्यवाही की गई, जो कि सही है।

परिवादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

17-05-23	17/5/23	17-05-2023
सुरेन्द्र सिंह नेगी	रजनीश अग्रवाल	सुन्दरी गैरोला देवली
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 227 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 02 / 08 / 2023

CASE NO- 40/2023

विषयः– श्री नित्यानन्द गौनियाल, ग्राम–पनास मल्ला, भमरईखाल, तहसील–बीरोंखाल के निर्णय के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीडांडा।

उपरोक्त विषयक आपको श्री नित्यानन्द गौनियाल, ग्राम–पनास मल्ला, भमरईखाल, तहसील–बीरोंखाल के निर्णय (DECISION) की छायाप्रति मूलरुप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

पत्रांकः– / उ0शि0नि0मं0(श्री0) / तद्दिनांकः–
प्रतिलिपि श्री नित्यानन्द गौनियाल, ग्राम–पनास मल्ला, भमरईखाल, तहसील–बीरोंखाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal
Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेल: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

पत्रांक:– 227 उ०शि०नि०मं०श्री० /   दिनांक 02/08/2023

अपील संख्या 48/2023

परिवादी– श्री नित्यानन्द गौनियाल,
ग्राम पनास मल्ला, भमरईखाल, बीरोंखाल
नैनीडांडा।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
नैनीडांडा।

कोरम– 01 श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02 श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

परिवादी श्री नित्यानन्द गौनियाल, ग्राम पनास मल्ला, भमरईखाल, तहसील बीरोंखाल, नैनीडांडा का शिकायती पत्र दिनांक 28.06.2023 को कोटद्वार (लैंसडाउन) शिविर से प्राप्त हुआ है। जिसमें परिवादी का कथन है कि शिकायतकर्ता को समय–समय पर देहरादून जाना पडता है, इस बीच शिकायतकर्ता के पडोसियों द्वारा विभाग से अपनी भूमि पर शौचालय बनाने के उद्देश्य से उक्त स्थान से विद्युत पोल को गलत तरीके से शिकायतकर्ता की निजी भूमि पर स्थानान्तरित करवा दिया गया। जिसके पश्चात् शिकायतकर्ता ने 29 मई2023 को विद्युत उपखण्ड स्यूंसी में निजी भूमि से पोल हटाने के सम्बन्ध में शिकायत की गई, विभाग से पूछताछ की गई कि बिना विभागीय स्टेमेंट के उक्त विद्युत पोल को कैंसे शिफ्ट किया गया और बिना शिकायतकर्ता की सहमती से विद्युत पोल को आंगन में कैंसे लगाया गया। परन्तु वर्तमान तक शिकायती पत्र पर अम्ल नहीं किया गया। इस हेतु परिवादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए एकँ शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढ़वाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता वि०वि०ख० नैनीडांडा को अपने पत्रांक सं0 217, दिनांक 30.06.2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद भी विद्युत वितरण खण्ड नैनीडांडा द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो पुनः उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 222, दिनांक 18.07.2023 को एक स्मरण पत्र जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने पत्रांक सं0 501, दिनांक 21.07.2023 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि ग्राम– पनास मल्ला में श्री नवीश गौनियाल के द्वारा एक विद्युत खम्बा गिरने की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा विद्युत दुर्घटना से बचने के लिए कार्यावाही करते हुये खम्बे को एक फिट दूर स्थापित कर दिया गया तथा जिस पर उस समय किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन अब भूमि स्वामी द्वारा आपत्ति दर्ज करने पर खम्बा दूसरे स्थान पर दिनांक 21.07.2023 को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

विश्लेषण

आज दिनांक 02.08.2023 को मीटिंग हुई और संलग्न पत्रावली में उपलब्ध विपक्षी ने अपने पत्र सं0 501, दिनांक 21.07.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त पोल गल गया था, तथा नवीश गौनियाल द्वारा किये गये अनुरोध पत्र के आधार पर पोल को 01 फिट दूर स्थापित किया गया, पोल हटाते समय किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई परन्तु नित्यानन्द गौनियाल द्वारा आपत्ति जताई गई, तत्पश्चात् पोल को दूसरी जगह पर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर पोल को उनके परिसर से हटा दिया गया है, अतः परिवादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

परिवादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

2-08-2023

सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	सुन्दरी गैरोला देवली सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 226 उ0शि0नि0मं0श्री0 /

दिनांक 07/09/2023

CASE NO- 41/2023

विषयः– श्री अनुराग धूलिया, निकट खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जयहरीखाल के निर्णय के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कोटद्वार।

उपरोक्त विषयक आपको श्री अनुराग धूलिया, निकट खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जयहरीखाल के निर्णय (DECISION) की छायाप्रति मूलरूप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

पत्रांकः– / उ0शि0नि0मं0(श्री0) / तद्दिनांकः–
प्रतिलिपि श्री अनुराग धूलिया, निकट खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जयहरीखाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 226 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 02/08/2023

अपील संख्या 51/2023

परिवादी– श्री अनुराग धूलिया,
निकट खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय
जयहरीखाल।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कोटद्वार।

कोरम– 01 श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02 श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

परिवादी श्री अनुराग धूलिया, निकट खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जयहरीखाल का शिकायती पत्र दिनांक 28.06.2023 को कोटद्वार (लैंसडाउन) शिविर से प्राप्त हुआ है। जिसमें परिवादी का कथन है कि योजना का समझौता पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि उपभोक्ता का स्वयं का पॉवर उपभोग सोलर प्लान्ट की एक माह पावर क्षमता से अधिक उपयोग होती है तो नियमित देयकों को फिक्श डिमाण्ड व विद्युत ड्यूटी आदि अधिभार मुक्त से कोई रियायतें नहीं मिलेगी, किन्तु यदि स्वयं का पावर उपभोग कम है तो नियमित देयकों को फिक्स डिमाण्ड व विद्युत ड्यूटी अधिभार आदि से मुक्त होगा। योजना दिनांक 17.09.2017 से दिया जाना अपेक्षित था, साथ ही मासिक/द्विमासिक मीटर रीडिंग लेकर उसी क्रम में देयकों का नियमित भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में जमा करना आवश्यक था जो लगभग रूपये 12860 हैं। महोदय महने को तो यह स्वरोजगारोन्नमुख योजना है किन्तु विभागीय उपेक्षा के चलते न ही इनकी मासिक/द्विमासिक मीटर रीडिंग ली जाती है और न ही लाभार्थी को समय पर इसका लाभ मिलता है। अतः पिछले 06 माह से लिये गये देयकों के फिक्स डिमाण्ड व विद्युत ड्यूटी आदि अधिभार की जमा राशि आवेदक के बैंक खाते में शीघ्र ही जमा करवाने का कष्ट करें। इस हेतु परिवादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए एक शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढ़वाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता वि0वि0ख0 कोटद्वार को अपने पत्रांक सं0 218, दिनांक 30.06.2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद भी विद्युत वितरण खण्ड कोटद्वार द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो पुनः उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 221, दिनांक 18.07.2023 को एक स्मरण पत्र जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने पत्रांक सं0 1916, दिनांक 25.07.2023 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि उपरोक्त उपभोक्ता के बिल ऑनलाईन माध्यम से मुख्य स्तर (RAPDRP) से बनाये जाते हैं, साथ ही पीपीए (अनुबन्ध) के अनुसार "Consumer Shall Be Exempted from payment of monthly minimum charges of monthly minimum consumption guarantee charges or any other such charges or upen access charges including surcharges", लिखा गया है एवं उपभोक्ता से उक्त कोई भी चार्ज नही लिया जाता है, उपभोक्ता के बिल में जो फिक्स चार्ज लिया जा रहा है मा0 विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आर्डर के अनुसार ही लिया जा रहा है।

विश्लेषण

आज दिनांक 02.08.2023 को मीटिंग हुई और संलग्न पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के अनुबन्ध से स्पष्ट है कि मासिक बिलों में MSG और कोई अन्य चार्जेस नहीं ली जायेगी, संलग्न बिल में मात्र फिक्स चार्ज लिये गये हैं जो कि नियमानुसार है।

आदेश

परिवादी का बिल सही है, अतः परिवादी का वाद निस्तारित किया जाता है। साथ ही विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की रीडिंग प्रत्येक माह लेना सुनिश्चित करें।

परिवादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

		2-08-2023
सुरेन्द्र सिंह नेगी	रजनीश अग्रवाल	सुन्दरी गैरोला देवली
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal
Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–233 उ0शि0नि0मं0श्री0/ दिनांक 20/06/2023

CASE NO- 42/2023

विषयः– श्री उमेद सिंह राणा, ग्राम रणकन्डियाल, कीर्तिनगर के निर्णय के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

उपरोक्त विषयक आपको श्री उमेद सिंह राणा, पुत्र स्व0 श्री बचन सिंह राणा ग्राम रणन्डियाल, कीर्तिनगर के निर्णय (DECISION) की छायाप्रति मूलरूप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

पत्रांकः– /उ0शि0नि0मं0(श्री0)/तद्दिनांकः–
प्रतिलिपि श्री उमेद सिंह राणा, पुत्र स्व0 श्री बचन सिंह राणा ग्राम रणन्डियाल, कीर्तिनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांक –223 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 28/08/2023

अपील संख्या 42/2023

परिवादी– श्री उमेद सिंह राणा, पुत्र स्व0 श्री बचन सिंह राणा
ग्राम रणकन्डियाल, कीर्तिनगर
श्रीनगर गढवाल।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

कोरम– 01 श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02 श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

परिवादी श्री उमेद सिंह राणा, ग्राम रणकन्डियाल, कीर्तिनगर का शिकायती पत्र दिनांक 19.07.2023 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसमें परिवादी का कथन है कि मेरा विद्युत कनेक्शन सं0 एस0एन025302021096 है, जिसमें मीटर रीडर द्वारा रीडिंग 2040 दिखाई गई है जो कि गलत है, मेरा घर बन्द रहता है। दिनांक 19.06.2023 को रीडिंग 733 थी जिसकी फोटो उपखण्ड कार्यालय कीर्तिनगर को दिखा दी गई है, जिसमें उपखण्ड कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि आपका केश पुराना है यह यहां नही होगा, जिसके पश्चात् उपखण्ड कीर्तिनगर के निर्देशानुसार शिकायतकर्ता द्वारा ऊर्जा भवन देहरादून जाकर पता किया गया तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि यह केश श्रीनगर में होगा। शिकायतकर्ता की शिकायत का वर्तमान तक उपखण्ड कार्यालय कीर्तिनगर द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई है, जिससे शिकायतकर्ता को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। इस हेतु परिवादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए एक शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता वि0वि0ख0 श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 225, दिनांक 21.07.2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

20/8/2023

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद भी विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो पुनः उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 229, दिनांक 05.08.2023 को एक स्मरण पत्र जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने पत्रांक सं0 3167, दिनांक 22.08.2023 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि वर्तमान में उपभोक्ता मीटर संख्या 008305 की रीडिंग 736 KWH है। उपभोक्ता का बिल संशोधन रीडिंग 736 KWH के अनुसार कार्यालय ज्ञाप सं0–3114/वि0वि0ख0श्री, दिनांक 05.08.2023 के माध्यम से कर दिया गया है।

विश्लेषण

आज दिनांक 28.08.2023 को मीटिंग हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया और बिल लेजर 08/2023 के अनुसार बकाया धनराशि 7690रू0 थी, जिसको संशोधित कर –392रू0 कर दिया गया है। अर्थात् परिवादी का बिल सही कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी का बिल सही कर दिया गया है। अतः परिवादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

परिवादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80, बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

	28/8/2023	28-8-2023
सुरेन्द्र सिंह नेगी	रजनीश अग्रवाल	सुन्दरी गैरोला देवली
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

Electricity Consumer Grievance Redressal
Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 232 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 23/08/2023

CASE NO- 43/2023

विषयः– श्री त्रिलोक रावत, ग्राम कोला, ब्लॉक पोखड़ा के निर्णय के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

उपरोक्त विषयक आपको श्री त्रिलोक रावत, ग्राम कोला, ब्लॉक पोखड़ा, पौडी गढवाल के निर्णय (DECISION) की छायाप्रति मूलरूप में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

पत्रांकः– / उ0शि0नि0मं0(श्री0) / तद्दिनांकः–
प्रतिलिपि श्री त्रिलोक रावत, ग्राम कोला, ब्लॉक पोखडा, पौडी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सुरेन्द्र सिंह नेगी
सदस्य (उपभोक्ता)

Electricity Consumer Grievance Redressal
Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ई मेल:
Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 232 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 23/08/2023

अपील संख्या 43/2023

परिवादी– श्री त्रिलोक रावत
ग्राम कोला, ब्लॉक पोखड़ा
पौडी गढवाल।

विपक्षी– अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

कोरम– 01 श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली (सदस्य न्यायिक)
02 श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
03 श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)

निर्णय

परिवादी श्री त्रिलोक रावत, ग्राम कोला, ब्लॉक पोखडा, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 09.08.2023 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसमें परिवादी का कथन है कि भवन के समीप एक विद्युत पोल जर्जर स्थिति में है, जिस विद्युत पोल के गिरने से भवन व जीवन को हानि पहुंच सकती है, शिकायतकर्ता के माता–पिता शारिरीक और मानसिक रूप से बेचेन हैं, तथा उक्त मौजूदा स्थिति के कारण परिवारजन शान्ति से सो भी नही पा रहे हैं। जिससे शिकायतकर्ता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। इस हेतु परिवादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए एक शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता वि0वि0ख0 पौडी को अपने पत्रांक सं0 230, दिनांक 09.08.2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी ने अपने पत्रांक सं0 7634, दिनांक 17.08.2023 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि श्री त्रिलोक रावत जी, ग्राम कोला, ब्लॉक पोखड़ा के शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है।

विश्लेषण

आज दिनांक 21.08.2023 को, मीटिंग हुई और संलग्न पत्रावली में उपलब्ध विपक्षी ने अपने पत्र सं0 7634, दिनांक 17.08.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है, तथा परिवादी ने दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया कि जर्जर विद्युत पोल को बदल दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर क्षतिग्रस्त पोल को बदल दिया गया है, अतः परिवादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

परिवादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

सुरेन्द्र सिंह नेगी (सदस्य उपभोक्ता)	रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)	सुन्दरी गैरोला देवली सदस्य (न्यायिक)